सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP47487858930794U**
Certificate Issued Date	:	20-Jul-2022 01:53 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14351204/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP143512048721470999167 3U
Purchased by	:	ATULAYA EDUCATIONAL SOCIETY CHITRAKOOT
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ATULAYA EDUCATIONAL SOCIETY CHITRAKOOT
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ATULAYA EDUCATIONAL SOCIETY CHITRAKOOT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प [illegible] है।

सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP47486416892906U
Certificate Issued Date	:	20-Jul-2022 01:52 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14351204/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14351204872115176883361U
Purchased by	:	ATULAYA EDUCATIONAL SOCIETY CHITRAKOOT
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ATULAYA EDUCATIONAL SOCIETY CHITRAKOOT
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ATULAYA EDUCATIONAL SOCIETY CHITRAKOOT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 00367/2022-2023 पत्रावली संख्या J/CHI/0049875 दिनांक 29/06/2022

प्रारूप-8
नियम 7(2) देखिये

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

पंजीकरण संख्या **CHI/03313/2022-2023**

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **अतुल्या एजुकेशनल सोसायटी, नगर पंचायत पो0 मऊ चित्रकूट जिला चित्रकूट, चित्रकूट, 210209** को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।
यह प्रमाण पत्र दिनांक **28/06/2027** तक विधिमान्य होगा ।
आज दिनांक **29/06/2022** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

Digitally Signed By
(ANAND KUMAR SINGH)
5AC5EC0AA86E07DBC2EA16C908B64995A751E2ED
Date: 29/06/2022 12:07:28 PM, Location: Jhansi .
सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म एसोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी।

Scanned with OKEN Scanner

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :
संस्था का पता / Society's Address : नगर पंचायत पो0 मऊ चित्रकूट जिला चित्रकूट,Chitrakoot,210209
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश देश
संपर्क संख्या / Contact Number : 7905754146

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य

उपयोगी जानकारी के प्रसार खादी के लिये (राजनीतिक शिक्षा) ग्राम, उद्योग , जनसामान्यन के लिये पुस्तककालयों/ वाचनालयों से संबंधित , ग्रामीण विकास , प्रदेश का उद्योग, प्राकृतिक इतिहास के रांकलन , बहुउदेशीय यांत्रिक / रंग चित्रों या अन्य कला दार्शनिक कृतियों/ संग्राहालयों/ गैलरियों , शिक्षा विज्ञान क लिये साहित्य या ललित कला की प्रोन्नति ,

से सम्बंधित है)

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रति जागृति लाना और परिवार कल्याण साधन सुलभ कराने का प्रयास करना।
2. देश की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जन मानस में परिवार नियोजन के प्रति जागृति लाना व परिवार नियोजन से लाभ की जानकारी देना ।
3. एड्स रोग जिसके बढ़ते हुऐ प्रकोप से पूरा विश्व परेशान है एड्स से बचने के लिए जन मानस को उपाय की जानकारी देना एवं एड्स और एड्स रोगियों के प्रति फैली भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करना ।
4. बालक/बालिकाओं, शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं विद्यालय/महाविधालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज आदि की स्थापना कर उनका संचालन करना ।
5. महिलाओं और बच्चों, वृद्धों के लिए धर्मार्थ आश्रम बनाना, नारी सुलभ शौचालय केन्द्र एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना व उन्हे रोजगार परख शिक्षा व पूर्ण सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना ।
6. आदिवासियों एवं अनूसूचित जाति एवं अनु0 जन जातियो का समग्र विकास करना व उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाना, विमुक्ति जन जातियों एवं आदिवासीयों के जीवन में सुधार करने का प्रयास करना ।
7. बालकों में अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना व बालक अपराधियों को शैक्षिणिक, सामाजिक एवं चरित्र का विकास एवं पुर्नवास करना ।
8. बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रयास करना एवं उनके पुर्नवास की व्यवस्था करना ।
9. मादक पदार्थो का उन्मूलन एवं नशाखोरों के अन्दर पड़ी इन आदतों को छुड़ाने का प्रयास करना।
10. अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत सगंत्रों, गोबर गैस, बायों गैस, सोर ऊर्जा तथा पतन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन व विकास करने का प्रयास करना ।
11. ग्रामीण विकास हेतु मलिन बस्तियों के सुधार करने का प्रयास करना, घर घर में सुलभ शौचालय बनाना और इसके टेंक से बायों गैस का उत्पादन व प्रयोग करने का प्रयास करना और सोर ऊर्जा द्वारा विद्युत व्यवस्था करने का प्रयास करना ।
12. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रमों संस्था को भूमि पर वृक्षों को लगाना व वृक्षों की रक्षा के लिए प्रेरित करना और रसोई के लिए अपारम्परिक ऊर्जा प्रयोग के लिए प्रेरित करना व इन साधनों को सुलभ कराने का प्रयास करना।
13. संस्था द्वारा बालक, बालिकाओं के विद्यालय एवं तकनीकी शैक्षिणिक विकास हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उनका संचालन करना ।
14. तकनीकी शिक्षा एवं गैर तकनीकी शिक्षा में संस्था स्थापित कर समस्त वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को प्रशिक्षित करना तथा उनको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास कर सुयोग्य नागरिक बनाना।
15. संस्थान द्वारा पौधशाला की स्थापना करना एवं वनीकरण, वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संस्थान की भूमि पर लगाना ।

सत्य प्रतिलिपि

Ankit Kumar वैशाली अतुल कुमार रामहरि

अनीता देवी कामता प्रसाद अनीता

Scanned with OKEN Scanner

...वर्षा जल का संग्रहण कर सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था व कृषि एवं उद्यान विकास के लिए प्रयास करना।

...के क्षेत्र में लगी जड़ी बूटियों (वन औषधियों) के बारे में ग्रामीण जनों को जानकारी देना व आयुर्वेद चिकित्सकीय महत्व बताना।

18. ग्रामीण गरीबों को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग से परिचित कराना एवं उसके प्रयोग के लिए प्रेरित करना।

19. पिछड़े हुये ग्रामीण पुरुषों के लिए आरोग्य स्वास्थ केन्द्रों, ज्ञानार्जन हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय, मनोरंजन के एवं व्यायामशालाओं की स्थापना कर संचालित करने का प्रयास करना।

20. देश में बढ़ती हुई भिक्षावृत्ति को रोकना और भिक्षुक गृहों का निर्माण कर उनका पुर्नवास करने का प्रयास करना।

21. महिलाओं के लिए सिलाई, कटाई, बुनाई, कताई व दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करना।

22. समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, हुडको, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, यू०नी०सेफ, सिडबी, नाबय संस्थान विकास मंत्रालय, लवाकरा, सिप्सा, सेफ-इण्डिया, नाबार्ड तथा अनुमोदित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एवं उनका संचालन करना।

23. गरीब आदिवासीयों एवं अनुसूचित जाति व विमुक्ति जन जाति की महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम का संचालन एवं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बाल विहार, बालवाड़ी, शिलाकला केन्द्र की व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना, और इन्हें कुटीर उद्योगों के लिए बैंको से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करना।

24. दैवीय आपदाओं के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना जैसे युद्ध, महामारी, दुर्घटना, बाढ़, सूखा आदि इसके लिये पीड़ित जनता की सहायता विभिन्न प्रकार के रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा उन्हे मुफ्त भोजन, वस्त्र एवं दवा आदि की मदद पहुंचाने का कार्य करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है / Details of orficle bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	दिनेश चन्द्र	श्री छंगूलाल	बाजार रोड़ मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	अध्यक्ष	व्यापार	8009974899		
2.	अनीता देवी	श्री दिनेश चन्द्र केशरवानी	मऊ मुस्तकिल चित्रकूट जिला चित्रकूट	उपाध्यक्ष	गृहणी	9517205525		
3.	अंकित कुमार	श्री दिनेश चन्द्र	मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	प्रबंधक	शिक्षण कार्य	7905754148		
4.	वैशाली	श्री नरेन्द्र कुमार	बूँढ़ाना जरासा इलाहाबाद	उपप्रबंधक	गृहणी	8176925096		
5.	अतुल कुमार केशरवानी	श्री दिनेश चन्द्र केशरवानी	मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	कोषाध्यक्ष	व्यापार	8318408143		
6.	हिमांशु केशरवानी	श्री प्रेमचन्द्र केशरवानी	मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	आय व्यय निरीक्षक	व्यापार	6307059039		

सत्य प्रतिलिपि

for सहायक रजिस्ट्रार
...सोसायटीज एवं चिटफण्ड
...झाँसी।

Ankit Kumar

Scanned with OKEN Scanner

	श्री मन सिंह	324/3490/1बी0 सेल 4 चक मुहेरा जैन वाटिका सदस्य इलाहाबाद		समाजसेवा	9005310776		
8.	कामता प्रसाद साहू	श्री रामलाल साहू	मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	सदस्य	कृषि	9161019869	
9.	अनीता साहू	श्री कामता प्रसाद साहू	बाजार रोड़ मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	सदस्य	गृहणी	9161019869	
10.	ओम सिंह	श्री दिलीप सिंह	डाकघर मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	सदस्य	समाजसेवा	8009662927	
11.	रामहरि केवट	श्री राम नरेश केवट	सिंहानिया मऊ मऊ चित्रकूट	सदस्य	समाजसेवा	8948430795	

सहायक निबंधक समिति * उत्तर प्रदेश सोसा *

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	दिनेश चन्द्र	श्री छंगूलाल	बाजार रोड़ मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	व्यापार
2.	अनीता देवी	श्री दिनेश चन्द्र केशरवानी	मऊ मुस्तकिल चित्रकूट चिला चित्रकूट	गृहणी
3.	अंकित कुमार	श्री दिनेश चन्द्र	मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	शिक्षण कार्य
4.	वैशाली	श्री वीरेन्द्र कुमार	बूँदावा जमरा इलाहाबाद	गृहणी
5.	अतुल कुमार केशरवानी	श्री दिनेश चन्द्र केशरवानी	मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	व्यापार
6.	हिमांशु केशरवानी	श्री प्रेमचन्द्र केशरवानी	मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	व्यापार
7.	ज्योति	श्री मन सिंह	324/3490/1बी0 सेल 4 चक मुहेरा जैन वाटिका इलाहाबाद	समाजसेवा
8.	कामता प्रसाद साहू	श्री रामलाल साहू	मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	कृषि
9.	अनीता साहू	श्री कामता प्रसाद साहू	बाजार रोड़ मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	गृहणी
10.	ओम सिंह	श्री दिलीप सिंह	डाकघर मऊ, मऊ मुस्तकिल चित्रकूट	समाजसेवा
11.	रामहरि केवट	श्री राम नरेश केवट	सिंहानिया मऊ मऊ चित्रकूट	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।
दिनाँक / Date :-
हस्ताक्षर / Signature :

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्मा सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0 प्र0 इलाहाबाद

Amit Kumar 2017

वैशाली

अतुल कुमार

दिनेश चन्द्र केशरवानी

अनीता देवी

Om Singh

ज्योति

कामता प्रसाद

अनिता

रामहरि

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	अतुल्या एजुकेशनल सोसायटी
संस्था का पता / Society's Address :	नगर पंचायत पो0 मऊ चित्रकूट जिला चित्रकूट,Chitrakoot,210209
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश रहेगा
संपर्क संख्या / Contract Number :	7905754148

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	2000	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
विशेष सदस्य / Special Member	0	संस्था, विशिष्ट सदस्यों को उनके सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर मनोनीत करती है उनके लिए सदस्यता शुल्क का निर्धारण कार्यकारिणी करेगी
संरक्षक सदस्य / Patron Member	1100	संस्था के संस्थापक ही संरक्षक सदस्य कहलाते हैं संस्था स्थापना के लिया इनके द्वारा संस्था के कोष में दी गयी चल या अचल सम्पत्ति ही इनका सदस्यता शुल्क होगा
सामान्य सदस्य / General Member	501	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
4. अपेक्षित प्रस्ताव या त्याग पत्र प्रारित करने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7. नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश, झाँसी

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation : साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, विशेष सदस्य / Special

सत्य प्रतिलिपि

For
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
झाँसी।

अनीता देवी Ankit Kumar देवांशी अतुलकुमार रामलाडे

राहुल अनीता Om Singh

Scanned with OKEN Scanner

Member, संरक्षक सदस्य / Patron Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें / Meetings :

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैटक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

सूचना अवधि / Notice period :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी।

गणपूर्ति / Quorum :

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष होगा, जिसकी तिथि व समय प्रबन्धकारिणी समिति ही निर्धारित करेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Duties of the General Body :

1. साधारण सभा अपने प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी। 2. संस्था की नीति निर्धारण करना, नियमों/विनियमों में संशोधन करना। 3. प्रबन्धकारिणी समिति में हुये रिक्त स्थान की पूर्ति करना। 4. वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब/बजट का अनुमोदन करना। 5. कार्य विशेष के लिए समितियों का गठन करना तथा अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करना।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation :

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, आय व्यय निरीक्षक-1, उपप्रबंधक-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, प्रबंधक-1, सदस्य-5 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 11 होगी।

सूचना अवधि / Notice period :

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 1 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी।

बैठकें / Meetings :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

गणपूर्ति / Quorum :

प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

1. संस्था के विरूद्ध कार्यवाहियों में लिप्त संस्था के कर्मचारियों व सदस्यों के प्रति अनुशासनात्मक/अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही करना। 2. संस्था की उन्नति हेतु नियमों/विनियमों को बनाना व साधारण सभा से उसकी पुष्टि करना। 3. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, खादी ग्रामोद्योग, आयोग, बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग आदि अन्य विभागों, से धर्मार्थ आर्थिक सहायताएं प्राप्त करना।

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats :

प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

कार्यकाल / Tenure :

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5साल का होगा।

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया / Election Procedure of Management Committee by General Body :

साधारण सभा अपने प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

अध्यक्ष

1. 1. समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना। 2. संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य जो आम सभा से 2/3 बहुमत से स्वीकृत हो करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

दिनेश चन्द्र अनीता देवी Ankit Kumar वर्मा अतुलकुमार राम हरि

ओम सिंह अनीता

Scanned with OKEN Scanner

2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा बताये गये समस्त कार्यों का संचालन करना व संस्था के विकास हेतु कार्य करना ।

3. 1. प्रस्तावों पर अपना मत प्राप्त करना, गतिरोध उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देना व समिति द्वारा संस्थाओं की देखरेख करना व बैठकों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना। 2. संस्था के बाहर जाने वाले कागजात तथा रिकार्ड का सत्यापन एवं हस्ताक्षरित करना। 3. संस्था की पूँजी का प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पास नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में रखना व संस्था में प्राप्त चन्दा, सदस्यता शुल्क, अनुदान प्राप्त करना । 4. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा लिए गये निर्णयों पर अपने विवेक द्वारा विचार कर अन्तिम रूप से निर्णय देना व संस्था की उन्नति हेतु हर सम्भव प्रयास करना । 5. प्रबन्धकारिणी समिति के नियमों को कार्यान्वित करना, पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना । 6. समस्त वित्त वाउचरों पर हस्ताक्षर करना, संस्था के सभी अभिलेख व प्रपत्र अपने पास रखना। 7. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि करना ।

उपप्रबन्धक

4. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा बताये गये कार्यों को करना व संस्था के विकास हेतु कार्य करना व किये गये कार्यों की रिपोर्ट अध्यक्ष को देना ।

कोषाध्यक्ष

5. 1. संस्था के समस्त आय व्यय का लेखा जोखा सचिव के साथ बैठकर तैयार करेगा तथा अध्यक्ष के सहयोग से संस्था की कार्यकारिणी समिति तथा आम सभा की बैठकों में प्रस्तुत करेगा ।

आय व्यय निरीक्षक

6. संस्था के सम्पूर्ण आय व्यय को आडिट करना व अपनी आडिट रिपोर्ट को साधारण सभा में अध्यक्ष को समक्ष प्रस्तुत करना व आडिट प्रपत्रों को सुरक्षित रखना व संस्था के विकास हेतु योगदान देना ।

सदस्य

7. 1. संस्था के विरुद्ध कार्यवाहियों में दिया संस्था के कर्मचारियों व सदस्यों के प्रति अनुशासनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही करना । 2. संस्था की उन्नति हेतु नियमों/विनियमों को बनाना व साधारण सभा से उसकी पुष्टि करना।

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

	पदाधिकारी/Post
1.	कोषाध्यक्ष
2.	प्रबंधक

आय के स्रोत / Source of Income

1. Maintenance amount
2. Membership Fee
3. Other Sources
4. Remittance
5. Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ Society's Account Details:

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

Scanned with OKEN Scanner

किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूलड् बैंक, पोस्ट ऑफिस,या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा , जिसका संचालन कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा ।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व / Responsibility for court operations of the society by or against :

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संचालित अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधक की अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की होगा ।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेग / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
   a) साधारण सभा / Genearal Body.
   b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टाक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / Dissolution :

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनाँक / Date :-
हस्ताक्षर / Signature :

सहायक निबंधक समितियाँ उत्तर प्रदेश, झाँसी

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

Scanned with OKEN Scanner